चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5.0’

सम्मान, स्वालंबन को समर्पित मिशन शक्ति फेज-5.0’ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम थाना बरगढ़ द्वारा चन्द्रेश इण्टर कॉलेज कस्बा बरगढ ,मिशन शक्ति टीम थाना भरतकूप द्वारा अकबरपुर, कस्बा भरतकूप में, मिशन शक्ति टीम थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कॉलेज रैपुरा में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा कल्याण भारती इण्टर कॉलेज कालूपुर में, मिशन शक्ति टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा धतुरहा चौराहा, शंकर बाजार कर्वी में, एवं अन्य समस्त थानों की एन्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत छात्र/छात्राओ, महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट

वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 28.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी तथा व्यायाम कराये गये। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही आर0टी0सी0 कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रभारी आरआई को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी एवं प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 18.10.2025 को थाना बरगढ़ अन्तर्गत जय पारनू बाबा फिलिंग स्टेशन कलचिहा पेट्रोप पम्प पर रात्रि में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग के घटना का खुलासा करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. विकास विश्वकर्मा पुत्र उग्रभान विश्वकर्मा निवासी ग्राम उरूआ थाना लौर जिला मऊगंज म0प्र0 उम्र 28 वर्ष
2. रोहित कुमार उर्फ नीरज कुमार पटेल पुत्र राम प्रकाश पटेल निवासी ग्राम ढ़नगन थाना लौर जिला मऊगंज म0प्र0 उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

विकास विश्वकर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 148/2024 धारा 394,323,506 भादवि0 थाना लौर जनपद मऊगंज म0प्र0

रोहित उर्फ नीरज पटेल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 72/2018 धारा 34(1) आबकारी एक्ट थाना लौर जनपद मऊगंज म0प्र0

2.मु0अ0सं0 07/2019 धारा 34(1) आबकारी एक्ट थाना लौर जनपद मऊगंज म0प्र0

बरामदगीः-

1.घटना में प्रयुक्त एक अदद बोलेरो कार नं0 MP 17 ZN 3156

2.घटना में प्रयुक्त दो अदद तमंचा 315 बोर

3. चार अदद कारतूस 315 बोर

4.पेट्रोल पम्प कर्मी की लूटी गयी एक अदद मोबाइल रियल मी

5.पेट्रोप पम्प से लूट के 10,500 रुपये

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समयः-

घटेहा बरगढ़ रोड सेमरा पनिहाई तिराहा के पास,दिनांक 27.10.2025, 11.35 पी0एम0

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.10.2025 को वादी श्री राजकुमार गौतम पुत्र नत्थूराम गौतम निवासी उमरी थाना सिविल लाइन जनपद सतना म0प्र0 द्वारा सूचना दिया गया था कि दिनांक 17/18.10.2025 की रात जय परानू बाबा फिलिंग स्टेशन कलचिहा पम्प पर समय रात्रि 02:00 बजे बोलेरो गाड़ी में चार लोग आये थे और आते ही सेल्समैन, चौकीदार व एक अन्य स्टाप को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया तथा पैसे और लाकर कैश की चाभी माँगने लगे। पेट्रोप पम्प के स्टाप को मारकर उन्होने दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की तथा हथियारों को कनपटी पर लगा दिया था। चाभी न मिलने पर ताला तोड़कर सभी लोग अन्दर घुसकर सारा सामान बिखरा दिये थे। लगभग 95 हजार रुपये कैश व पेट्रोप पम्प कर्मियों के मोबाइल लूट कर हथियार दिखाते हुए बोलेरो गाड़ी से भाग निकले। टी0वी0 और इलेक्ट्रानिक सामान तोड़ दिये। मारपीट में चौकीदार को बहुत गम्भीर चोटे आयी थी जिसका इलाज हो रहा है।

इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 107/2025 धारा 331(4),309(6),117(2),324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात बोलेरो गाड़ी व 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट,अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ, एसओजी टीम,प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ एवं फील्ड यूनिट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 02 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये थे। एसओजी एवं थाना बरगढ़ की पुलिस टीमों के द्वारा लगातार प्रयास करने के दौरान मुखविर की सूचना के आधार पर जय परानू बाबा पेट्रोल पम्प कलचिहा में जिस बोलोरो गाडी से बदमाशो ने आकर लूटपाट की थी, उसी बोलोरो गाडी में कुछ व्यक्ति फिर से किसी घटना को करने के लिए म0प्र0 की ओर से घटेहा मार्ग से होते हुये बरगढ की तरफ आ रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके एसओजी एवं थाना बरगढ़ की पुलिस टीम द्वारा घटेहा की तरफ जाने वाली सड़क पर आगे बढे कि म0प्र0 की तरफ से घटेहा मार्ग पर एक चार पहिया वाहन आते हुये दिखायी दी जिसे दोनों टीमों द्वारा चारों तरफ से घेरा बन्दी करके गाडी से उतरकर तेजी से भागने के दौरान आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके पर पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से भागने का कारण कड़ाई से पूँछा गया तो दोनों बताये कि आज हमलोग बरगढ़ व मध्य प्रदेश के बार्डर पर पड़ने वाले किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प मड़हा को लूटने की योजना से आये थे यही पर तीनों साथियों का इंतिजार करते कि आप लोगो ने पकड़ लिया। दिनांक 17/18/10/25 की रात्रि में परानू बाबा पेट्रोल पम्प कलचिहा में हुई लूट के सम्बन्ध में कडाई से पूँछताछ किया गया तो पकडे गये व्यक्तियों ने बताया कि हम लोगो ने ही अपने तीन 1. सौरभ तिवारी पुत्र बजरंग तिवारी निवासी ग्राम गोबरा संग्राम थाना शंकरगढ यमुना नगर कमिश्नरेट प्रयागराज 2. आलोक पाण्डेय पुत्र रमेश पाण्डेय निवासी ग्राम डिघिया परान थाना नई गढ़ी जिला मऊ गंज म0प्र0 3. मुन्ना पटेल उर्फ सन्दीप पटेल पुत्र जयलाल पटेल निवासी ग्राम कसियार थाना गढ जनपद रीवा म0प्र0 के साथ इसी बोलेरो गाडी से आकर घटना किये थे। पकड़े गये अभियुक्त 1. विकास विश्वकर्मा पुत्र उग्रभान विश्वकर्मा निवासी ग्राम उरूआ थाना लौर जिला मऊगंज म0प्र0 उम्र 28 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर,02 अदद जिन्दा कारतूस,पेट्रोप कर्मी का लूटा हुआ मोबाइल रियलमी व लूट का 5500 रूपया बरामद हुआ। 2. रोहित कुमार उर्फ नीरज कुमार पटेल पुत्र राम प्रकाश पटेल निवासी ग्राम ढ़नगन थाना लौर जिला मऊगंज म0प्र0 उम्र करीब 29 बताया जिसकी जमा तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर,जेब से एक खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट का 5000 रुपये बरामद हुआ। बरामद गाडी का निरीक्षण किया गया तो नम्बर प्लेट के स्थान पर आगे व पीछे दोनो तरफ सफेद कागज पर UP 96 N 7268 लिखा है जिसे ई-चालान एप से देखा गया तो यह नम्बर सुपर स्प्लैण्डर का नम्बर है। पुनः कड़ाई से पूछताछ किया गया तो रोहित उर्फ नीरज पटेल उपरोक्त बताया कि साहब हमलोग इस जिले का फर्जी नम्बर छपवाकर लगाया हूँ पेट्रोल पम्प की लूट के समय बोलेरो गाड़ी की नम्बर प्लेट को हटा लिया था, बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी लाये थे। इस गाडी का सही नम्बर MP 17 ZN 3156 है, जो मेरी मां शान्ति देवी के नाम से है। चूँकि मुकदमा वादी द्वारा बोलेरो गाड़ी से 04 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट होना बताकर मुकदमा पंजीकृत

कराया गया था। लेकिन पकड़े गये अभियुक्तों से पूंछताछ व सीसीटीवी फुटेज की जांच से 05 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया है जिससे मुकदमा उपरोक्त में लूट की धारा 309(6) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 317(3) व 311 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाडी में फर्जी नम्बर प्लेट चस्पा कर चलाने व अवैध तमंचा रखने पर धारा 319(2),338,336(3) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी टीमः-

1.श्री एम0पी0 त्रिपाठी एसओजी प्रभारी

2. मु0आ0 जितेन्द्र कुमार

3.आरक्षी रोहित कुमार

4.आरक्षी रोशन सिंह

5.आरक्षी गोलू भार्गव

6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

7.आरक्षी पवन कुमार राजपूत

8.आरक्षी आशीष कुमार

थाना बरगढ़ पुलिस टीम

1.श्री शिवआसरे प्रभारी निरीक्षक बरगढ़

2.उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह

3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला

4.आरक्षी पीयूष सरन श्रीवास्तव

5.आरक्षी सुलभ पटेल

6.आरक्षी रोहित कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

▶ आवेदिका श्रीमती प्रीति देवी पत्नी पिन्टू पुत्री परसू मऊ थाना मऊ चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति पिन्टू निवासी गौरीनगर नैनी प्रयागराज व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती रंजना तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र श्रीमती रंजना तिवारी
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3. महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 28.10.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 4174/2010 धारा 279,304ए,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सदाराम पुत्र रामहित निवासी कीटगंज जनपद प्रयागराज हाल मुकाम रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 06 माह का साधारण कारावास व 1000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0) श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0स0 282/2007 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोट्टन केवट पुत्र केशन केवट निवासी मकरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 06 माह का कारावास व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।